

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर अरोरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक /टीसी/76/भोपाल/उपां/नग्रानि/2021-22

भोपाल,दिनांक / /2022

प्रति,

- 1 कलेक्टर,
जिला भोपाल (म.प्र.)।
- 2 संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
भोपाल (म.प्र.)।
- 4 आयुक्त
नगर पालिक निगम, भोपाल
जिला भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- भोपाल विकास योजना, 2005 में भूमि उपयोग उपांतरण बाबत (ग्राम- हज्जामपुरा तहसील हुजूर एवं जिला भोपाल के खसरा क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 19 एवं 40/1 कुल रकबा 55.660 हेक्टेयर में से आवेदित भूमि 42.950 हेक्टेयर भूमि में से 31.210 हेक्टेयर भूमि का औद्योगिक उपांतरण)।

--0--

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा भोपाल विकास योजना, 2005 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल,दिनांक 7/1/22/2022

5116

पृ. क्रमांक /टीसी/76/भोपाल/उपां/नग्रानि/2021-22

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2- संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल क वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरिया कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

5113

भोपाल,दिनांक:- 7/12/2022

क्रमांक /टीसी/76/भोपाल/उपां/नग्रानि/2021-22 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	अनुसूची क्षेत्रफल हेक्टेयर में			विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	आवेदित रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	हज्जामपुरा तह. हुजूर जिला भोपाल	1	0.320	0.320	0.320	कृषि	औद्योगिक
2.		2	1.060	1.060	1.060	कृषि	औद्योगिक
3.		3	0.930	0.930	0.00	कृषि	कृषि
4.		4	0.640	0.640	0.00	कृषि	कृषि
5		5	36.140	29.460	24.420	कृषि	औद्योगिक
6		19	9.190	9.190	4.060	कृषि	औद्योगिक तथा मार्ग
7		40/1	7.380	1.350	1.350	कृषि	औद्योगिक तथा मार्ग
	योग	55.660	42.950	31.210			

शर्त :-

1. उपांतरण हेतु आवेदित भूमि रकबा 42.950 हेक्टेयर भूमि में से रकबा 31.210 हेक्टेयर भूमि का औद्योगिक उपांतरण किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष भूमि रकबा 11.740 हेक्टेयर भूमि तालाब से लगकर होने के कारण यह भूमि पर वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रहेगी।
2. स्थल के दक्षिण दिशा में स्थित विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 60.00 मीटर रखी जाना आवश्यक होगा।
3. स्थल पर अवस्थित नालों के दोनों किनारों से 9.00 – 9.00 मीटर भूमि वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखी जाना आवश्यक होगा।
4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।


(मुकेश चन्द्र गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

